Class - B.A - I (H)
Paper - I
Lecture - (2)

Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher
dept. of political science
V.S.J. College, Rajnagar,
Madhubani (Lnmu)

Topic - राज्य के कार्य (उदारवाद)

राज्य के कार्य के संबंध में उदारवाद का दृष्टिकोण परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है। उदारवाद के मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण बताये जा सकते हैं— परम्परागत उदारवाद एवं आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद।

परम्परागत उदारवाद :— परम्परागत उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता रहा है जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को परम्परागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। प्रो. हॉबहाउस ने अपने 'उदारवाद' शीर्षक ग्रन्थ में परम्परागत उदारवाद के नौ मूल सिद्धान्त बतलाये हैं—

1. नागरिक स्वतंत्रता
2. वित्तीय स्वतंत्रता
3. व्यक्तिगत स्वतंत्रता
4. सामाजिक स्वतंत्रता
5. आर्थिक स्वतंत्रता
6. पारिवारिक स्वतंत्रता
7. जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता
8. अन्तर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता
9. राजनीतिक स्वतंत्रता

आधुनिक जनतन्त्रात्मक उदारवाद :—

19 वीं सदी के मध्य तक परम्परागत उदारवाद

Scanned with CamScanner

प्रचलित रहा। लेकिन इसके बाद बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। 19वीं सदी के मध्य तक उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि का प्रतिपादन किया गया। उदारवाद का यह नया रूप थॉमस हिल ग्रीन के साथ प्रारम्भ हुआ। नवीन उदारवाद ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था, मद्य-निषेध, बच्चों तथा स्त्रियों के श्रम के अधिकाधिक नियमन, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आदि का समर्थन किया। परम्परागत उदारवाद जहाँ आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाने के विचार पर बल देता था, वहीं नवीन उदारवाद के द्वारा निर्धन व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप को प्रोत्साहन किया गया।

उदारवादियों के अनुसार राज्य के कार्य :—

उदारवाद के अनुसार राज्य के कार्य को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—

(1) आवश्यक या अनिवार्य कार्य
(2) अनावश्यक या ऐच्छिक कार्य

आवश्यक या अनिवार्य कार्य—

(i) शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करना— इसके अन्तर्गत नागरिकों की सुरक्षा के कार्य, हिंसा को रोकना, अपराधों की जाँच

आदि आते हैं। व्यवस्था बनाये रखने के लिए कानून बनाना तथा व्यापार संबंधी आर्थिक संबंधी कानून बनाना भी इसके अन्तर्गत आता है।

(ii) न्याय स्थापित करना — इसमें दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामलों में नागरिकों को उचित न्याय देना, धर्म, वर्ण, जाति लिंग भेद आदि के आधार पर किसी को न्याय से वंचित न करना शामिल है।

(iii) बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा — इसके अन्तर्गत राज्य का काम है, देश पर हुए आक्रमणों का मुकाबला करना। राज्य इसके लिए सेनाएं, हथियार आदि रखता है तथा विदेशी संबंध स्थापित करता है।

(iv) अन्य कार्य — इसके अन्तर्गत कर लगाना, मुद्रा, भूमि जंगल, खनिज पदार्थ, सार्वजनिक संपत्ति इत्यादि संबंधी कार्य, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य तथा पारस्परिक संबंधों की व्याख्या आदि आते हैं।

अनावश्यक या ऐच्छिक कार्य —

(i) आर्थिक कार्य — (i) उद्योगों का नियंत्रण तथा राष्ट्रीयकरण

(ii) आवश्यक वस्तुएँ जैसे अनाज, दूध, किताबें आदि कंट्रोल रेट पर बेचकर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना।

(iii) कृषि उत्पादन में सुधार करना।

(iv) बेकारी घटाना

(2) सामाजिक कार्य :-

(i) सामाजिक शोषण तथा भेदभाव को दूर करना।

(ii) समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएँ देना।

(iii) समाज में सफाई सहित आदि का ध्यान रखना तथा विभिन्न महामारियों जैसे - हैजा, चेचक, मलेरिया, तपेदिक आदि पर नियंत्रण करना।

(iv) समाज में खाने - पीने की वस्तुएं और अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता बनाये रखना।

(v) दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, ~~छुआछूत~~ जातिवाद, छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं को दूर करना।

(3) सांस्कृतिक कार्य -

(i) जनता के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।

(ii) कला, साहित्य, संगीत को बढ़ावा देना तथा अश्लील कला, साहित्य, संगीत पर नियंत्रण रखना।

(iv) वैज्ञानिक तथा तकनीकि अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(4) राजनीतिक कार्य -

(i) अधिकारों तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा।

(ii) उचित समय पर उचित तरीके से चुनाव की व्यवस्था करना

(iii) जनता को राज्य के कार्यों में

उचित मौका देना।

(iv) भ्रष्टाचार को खत्म करना या कम करना

Khushbu kumari

10th July 2020

Scanned with CamScanner